



उत्तराखण्ड सरकार

सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिषिष्ठ

भाग— रवण्ड ()

(परिनियत आदेश)

देहरादून: दिनांक: 2003 ई०

सम्बत्.....

उत्तरांचल शासन

कृषि एवं कृषि विपणन अनुभाग

संख्या 1673 /कृषि/ 2003/1(241)2002

देहरादून: दिनांक 25 मार्च, 2003

संशोधन

साधारण खण्ड अधिनियम 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 एवं आवश्यक वरतु अधिनियम 1955 के सन्दर्भ में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 337 / कृषि / 2000-01 दिनांक 13 फरवरी 2001 में महामहिम राज्यपाल महोदय निर्मांकित संशोधन की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

मूल पाठ

संशोधन

साधारण खण्ड अधिनियम 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 के खण्ड 29 के द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल द्वारा अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से निर्देश देते हैं कि उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 के खण्ड 27 के अन्तर्गत नियुक्त उर्वरक निरीक्षक द्वारा आहरित नमूने निम्नलिखित प्रयोगशालाओं में संबंधित आदेश की अनुसूची 2 में दी गयी प्रक्रिया के अनुसार विश्लेषित किये जायें।

1. क्षेत्रीय भूमि परीक्षण प्रयोगशाला, रुटपुर (उत्तरांचलकार)
2. क्षेत्रीय भूमि परीक्षण प्रयोगशाला, श्रीनगर (पांडी)
3. जिला भूमि परीक्षण प्रयोगशाला, अल्मोड़ा

साधारण खण्ड अधिनियम 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 के खण्ड 29 के द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल द्वारा अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से निर्देश देते हैं कि उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 के खण्ड 27 के अन्तर्गत नियुक्त उर्वरक निरीक्षक द्वारा आहरित नमूने निम्नलिखित प्रयोगशालाओं में संबंधित आदेश की अनुसूची 2 में दी गयी प्रक्रिया के अनुसार विश्लेषित किये जायें।

1. उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला, रुटपुर (उत्तरांचलकार)
- ✓ 2. उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला, पौडी।
- तथा उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 एवं आवश्यक वरतु अधिनियम 1955 की धारा 29(ए) के अन्तर्गत प्रयोगशालाओं में उर्वरक विश्लेषक नियुक्त करते हैं।

आज्ञा से

(जारी आरोपित होनिया)
प्रमुख सचिव एवं आयुक्त